रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19052020-219439
CG-DL-E-19052020-219439

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 227] नई दिल्ली, मंगलवार, मई 19, 2020/वैशाख 29, 1942
No. 227] NEW DELHI, TUESDAY, MAY 19, 2020/VAISAKHA 29, 1942

विदेश मंत्रालय

(पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 2020

सा.का.नि.301 (अ).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विदेश मंत्रालय के केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (आशुलिपिक ग्रेड- I, आशुलिपिक ग्रेड-II और आशुलिपिक ग्रेड-III) समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती नियम 2003 का उन बातों को छोड़कर जो की जा चुकी हैं या ऐसे अधिक्रमण से पहले समाप्त की जानी है, का अधिक्रमण करते हुए राष्ट्रपति एतद्वारा विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम प्रभाग के केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन में आशुलिपिक ग्रेड-II (समूह 'ग' पद) पदों की भर्ती के तरीके को विनियमित करने के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात्:-

1. **संक्षित नाम और प्रारम्भ.-** (1) इन नियमों को विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन आशुलिपिक ग्रेड-II (समूह 'ग' पद) भर्ती नियमावली, 2019 कहा जाएगा।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और पे बैंड और ग्रेड पे/वेतनमान.-** उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनसे संबंद्ध पे मैट्रिक्स में स्तर अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती का तरीका, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.-** भर्ती का तरीका, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **सेवा की शर्त एवं निबंधन.-** आशुलिपिक ग्रेड-II भारत में किसी भी ड्यूटी पद, जिस पर नियन्त्रक प्राधिकारी द्वारा उसकी तैनाती की जाएगी, पर सेवा देने के लिए उत्तरदायी होगा।

5. **अनर्हता-** वह कोई व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसकी एक जीवित पति/पत्नी है, अथवा

(ख) जिसने एक जीवित पति/पत्नी के रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, उक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परंतु यदि केन्द्र सरकार इस बात के प्रति आश्वस्त हो जाती है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और दूसरी व्यक्ति के संबंध में लागू स्वीय विधि के अंतर्गत अनुमत्य है और ऐसे विवाह के लिए दूसरे आधार विद्यमान हैं तो किसी व्यक्ति को इन नियमों के प्रचालन से छूट प्रदान कर सकती है।

6. **छूट देने की शक्ति.-** जहां केन्द्र सरकार मानती है कि ऐसा किया जाना आवश्यक या समीचीन है, तो वह आदेश पारित करके लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों के आधार पर व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के प्रावधानों में से किसी के प्रवर्तन में छूट प्रदान कर सकती है।

7. **छूट.-** इन नियमों में कही गई कोई बात केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर इस निमित जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों को दिए जाने वाले आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगी।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	पे मैट्रिक्स में स्तर	क्या चयन अथवा गैर-चयन पद है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. आशुलिपिक ग्रेड II	13* (2019) * के कार्यभार के आधार पर परिवर्तनशील	सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित अलिपिक-वर्गीय	स्तर- 4 रु. 25500-81100/-	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 40 वर्ष तक की छूट) **टिप्पणी-** आयु सीमा निर्धारण करने की महत्वपूर्ण तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा यथाविज्ञाप्ति तारीख होगी।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक अर्हता प्रोन्नति पाने वालों के मामले में भी लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती का तरीका चाहे सीधी भर्ती से अथवा पदोन्नति से अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन से और विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्विद्यालय से 12 वीं कक्षा पास या समकक्ष	लागू नहीं	दो वर्ष	कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीधी भर्ती टिप्पणी- पदधारी कर्मचारी की

(ii) कौशल परीक्षा मापदण्ड **डिक्टेशनः** 10मिनट@ 80 शब्द प्रति मिनट **लिप्यांतरणः** 65मिनट (अंग्रजी) 75मिनट (हिंदी) (मैनुअल टाईपराईटर पर) या 50 मिनट (अंग्रेजी) 65 मिनट (हिंदी) (कम्प्यूटर पर)			प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या अन्य परिस्थितियों के लिए एक वर्ष तक या अधिक के लिए रिक्ति होने पर उन्हें केन्द्र सरकार के नियमित आधार पर समतुल्य पद धारण करने वाले आैर काॅलम 7 के अंतर्गत सीधी भर्ती के लिए निर्धारित अर्हता धारण करने वाले कर्मचारी से प्रतिनियुक्ति पर भरा जाएगा।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन ग्रेडों द्वारा भर्ती के मामले जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान है तो इसका संघटन क्या है?	परिस्थितियां जिनमें भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं	**समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के लिए)** 1. (पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम प्रभाग) विदेश मंत्रालय, में निदेशक/उप सचिव-अध्यक्ष 2. (पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम प्रभाग) विदेश मंत्रालय में अवर सचिव/उप पासपोर्ट अधिकारी-सदस्य 3. (पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम प्रभाग), विदेश मंत्रालय में सहायक पासपोर्ट अधिकारी	लागू नहीं

[सं. सीडीआर.II/801/07/2017]

अरूण कुमार चटर्जी, संयुक्त सचिव(पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम) एवं मुख्य पासपोर्ट अधिकारी

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(PASSPORT SEVA PROGRAMME DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th April, 2020

G.S.R. 301(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Ministry of External Affairs, Central Passport Organisation (Stenographer Grade-I, Stenographer Grade-II and Stenographer Grade-III) Group 'B' and Group 'C' posts Recruitment Rules, 2003 in so far as they relate to the post of Stenographer (Grade III) except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer Grade II (Group 'C' Post) in the Central Passport Organisation, Ministry of External Affairs (Passport Seva Programme Division), namely :-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Ministry of External Affairs, Central Passport Organisation, Stenographer Grade II (Group 'C' Post), Recruitment Rules, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of posts, classification and level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and other qualifications, etc.**—The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Terms and conditions of Service.**—Stenographer Grade II will be liable to serve in any duty post in India to which he or she may be posted by the controlling authority.

5. **Disqualification.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, for appointment to the said post shall be eligible:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post.	Number of Posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Stenographer Grade II.	13*(2019) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Ministerial.	Level-4 Rs.25500 -81100/-	Not applicable.	18 to 27 years (Relaxable for Government servants upto forty years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
(i) 12th Class pass or equivalent from a recognised Board or University; (ii)Skill Test Norms: **Dictation**:10 minutes @ 80 word per minute. **Transcription:** 65 minutes (English) 75 minutes (Hindi) (On Manual Typewriter) or 50 minutes (English) 65 minutes (Hindi) (On Computer).	Not applicable.	Two years.	Direct recruitment through Staff Selection Commission. Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts or regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under Column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which the Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	
Not applicable.	**Group 'C' – Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation consisting of) :-** 1. Director/Deputy Secretary in the (Passport Seva Programme Division), Ministry of External Affairs – Chairman; 2. Under Secretary/ Deputy Passport Officer (Passport Seva Programme Division), Ministry of External Affairs, -Member; 3. Assistant Passport Officer (Passport Seva Programme Division), Ministry of External Affairs – Member.	Not applicable.

[No.CDR.II/801/07/2017]

ARUN KUMAR CHATTERJEE, Jt. Secy. (Passport Seva Programme)
& Chief Passport Officer

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.05.19 21:21:03 +05'30'